

NPL/BSE/2025-26/86

January 06, 2026

To,
The Listing Department
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Tower Dalal
Street, Mumbai - 400001

Scrip Code: 511714
Scrip ID: NIMBSPROJ

**Sub: - NEWSPAPER ADVERTISEMENT PUBLISHED ON JANUARY 06, 2026 W.R.T. POSTAL
BALLOT NOTICE**

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to Regulation 30 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the copies of newspaper advertisement w.r.t. Postal Ballot Notice as published in the following newspapers on January 06, 2026:

- i. Financial Express dated January 06, 2026 (English Daily)
- ii. Jansatta dated January 06, 2026 (Hindi Daily)

The aforesaid information is available on the Company's website i.e. www.nimbusprojectsLtd.com.

Kindly take the same on records.

Thanking You,

Yours faithfully,
For Nimbus Projects Limited

Ritika Aggarwal
(Company Secretary & Compliance officer)
M.No: A69712

 **हिंदुस्तान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड**
 CIN: L31300DL1959P1C003141
 पंजीकृत कार्यालय: कंचनबाग, 7वीं फ्लोर, 18, वाराणसी रोड, नई दिल्ली - 110001
 ई-मेल: investors@hindusthan.co.in, वेबसाइट: www.hindusthanurban.com,
 फोन: +91-11-233310001-05

कंपनी के सदस्यों को सूचना

कंपनी के सदस्यों को एनद्राष्ट्र सूचित किया जाता है कि कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 ('नियम') के नियम 20 और 22 तथा अधिनियम और नियमों के अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') को धारा 108 और 110 के प्रावधानों के अनुपालन में, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिचय संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 और सामान्य परिचय संख्या 10/2021 दिनांक 23 जून, 2021 और 20/2021 दिनांक 8 दिसंबर 2021 और सामान्य परिचय संख्या 09/2022 दिनांक 25 फरवरी, 2023 और सामान्य परिचय संख्या 09/2024 दिनांक 19 सितंबर, 2024 एवं अन्य प्रासंगिक परिचयों के साथ पठित सामान्य परिचय संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020 और 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020 और इस संबंध में जारी अन्य प्रासंगिक परिचयों के साथ पठित सामान्य परिचय संख्या 03/2025 दिनांक 22 सितंबर, 2025 ('एससीए परिचय') के माध्यम से एससीए द्वारा सामान्य बैठकों के आगोजन ई-वोटिंग के माध्यम से पोस्टल वेल्ट प्रक्रिया आयोजित करने के लिए निर्धारित आवश्यकताओं, प्रतिभा प्रशिक्षण और विनियम 2025 ('सूचनादाता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं') विनियम, 2015 ('सूचनादाता विनियम'), इंस्टेयट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सहजीव्य मानक-2 ('एसएस-2') और अन्य लागू कानूनों, नियमों और विनियमों (जिसमें किसी भी वैधानिक संसोधन या पुनर्गठन/संशोधन शामिल है) के अनुसार, कंपनी 29 दिसंबर, 2025 के पोस्टल वेल्ट नोटिस में उल्लिखित प्रस्तावित प्रस्तावों के संबंध में निर्धारित ई-वोटिंग के माध्यम से पोस्टल वेल्ट द्वारा प्रस्तावित प्रस्तावों के लिए अपने सदस्यों को सहजीव्य मांग रही है।

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी परिचयों के अनुसार, उक्त नोटिस में निर्धारित प्रस्ताव पर सदस्यों को स्वीकृत प्राप्त करने के लिए पोस्टल वेल्ट नोटिस इलेक्ट्रॉनिक रूप से उक्त सदस्यों को भेजा गया है जिसका ई-मेल पता कंपनी/स्क्याईलान्ड फार्नेशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ('स्क्याईलान्ड'), कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रस्टफर एजेंट/रिजिस्ट्रार/प्रतिभागी/रिजिस्ट्रार/रजिस्ट्रार के साथ ड्रयकर, 02 जनवरी, 2026 ('कट ऑफ तिथि') तक पोषीकृत है। कंपनी ने सोमवार, 05 जनवरी, 2026 को पोस्टल वेल्ट नोटिस का इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है।

पोस्टल वेल्ट नोटिस कंपनी के वेबसाइट www.hindusthanurban.com पर, ट्रस्टफर एजेंट/रजिस्ट्रार यानी बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर, स्क्याईलान्ड की वेबसाइट www.skylinert.com पर और एसएसईएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

जिन सदस्यों को पोस्टल वेल्ट नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है, वे अपने सूचना वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।

ई-वोटिंग के लिए निर्देश:

कंपनी अपने सदस्यों को उक्त पोस्टल वेल्ट नोटिस में प्रस्तावित प्रस्ताव पर अपने वोट के अधिकार को प्रयोग केवल निर्देश ई-वोटिंग ('ई-वोटिंग') द्वारा करने की सुविधा प्रदान कर रही है। सदस्यों की समझति या असमझति का संचार केवल ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से होगा। कंपनी ने ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में नेशनल फिन्सियल रजिस्ट्रार लिमिटेड ('एनएसईएल') को नियुक्त की है। सदस्य नीचे उल्लिखित अवधि के दौरान अपना वोट दाखल करेंगे।

ई-वोटिंग की शुरुआत बुधवार, 07 जनवरी, 2026 को सुबह 9:00 बजे (भा.मा.स.)

ई-वोटिंग की समाप्ति शुक्रवार, 05 फरवरी, 2026 को सुबह 5:00 बजे (भा.मा.स.)

उपरोक्त तिथि और समय के बाद ई-वोटिंग को अनुमति नहीं दी जाएगी और उपरोक्त अवधि की समाप्ति पर एनएसईएल द्वारा ई-वोटिंग माध्यम को तुरंत अक्षम कर दिया जाएगा।

डीटेल मोड, फिजिकल मोड में शेरर रखने वाले सदस्यों और निधि सदस्यों ने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं कराया है, उनके लिए ई-वोटिंग का तरीका पोस्टल वेल्ट नोटिस में प्रदान किया गया है।

केवल वही व्यक्ति ई-वोटिंग में भाग लेने का हकदार होगा जिसका नाम कट-ऑफ तिथि तक डिस्ट्रीब्यूट द्वारा प्रेषित सदस्यों के रजिस्टर/लाभोपेगी स्थिति में रजिस्टर में दर्ज है। जो व्यक्ति कट-ऑफ तिथि तक सदस्य नहीं है, उसे पोस्टल वेल्ट नोटिस को केवल सूचना के उद्देश्य से ही भेजा जाएगा।

निर्देश प्रत्यक्ष स्वीकृत को जाता है, तो उसे ई-वोटिंग की अंतिम तिथि यानी शुक्रवार, 05 फरवरी, 2026 को पारित माना जाएगा। ई-वोटिंग के परिणाम रजिस्टर, 07 फरवरी, 2026 तक घोषित किए जाएंगे और कंपनी की वेबसाइट www.hindusthanurban.com पर और स्क्याईलान्ड की वेबसाइट www.skylinert.com पर प्रदर्शित किए जाएंगे। परिणाम स्टिक एसएसईए यानी बीएसई लिमिटेड को www.bseindia.com पर एक साथ सूचित किए जाएंगे।

ई-वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न के मामले में, कृपया www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध FAQs-Shareholders तथा ई-voting User Manual-Shareholder देखें या टोल फ्री नंबर: 1800 1020 990/1800 224 430 पर कॉल करें या एसएसईएल को evoting@nsdl.co.in पर ईमेल भेजें या कंपनी को investors@hindusthan.co.in पर ईमेल लिखें।

ई-वोटिंग से संबंधित प्रश्नों/सिकावों, यदि कोई हों, के समाधान के लिए संबंधित धियवत: एन.एल. विमोचिता, अध्यक्ष-निवृत्त और सचिव ईमेल investors@hindusthan.co.in स्क्याईलान्ड फार्नेशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ईमेल आईडी: admin@skylinert.com

हिंदुस्तान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के लिए
हस्ता-...
 (एम.एल. विमोचिता)
 अध्यक्ष-निवृत्त और सचिव

आरसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड

पंजी. कार्यालय: 17वीं, कैप्टन बख्शाल रोड, तलवर्दी की घाटा, हिसार-125001 (हरियाणा)
ई-मेल: arceind@rediffmail.com; फोन: 98120-4110, 98120-40222
फैक्स: 98120-4110/1992/PLD031681

पोस्टल बैलेंट सूचना

सदस्यों को इसके द्वारा सूचना किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 और 110 के अनुसार, जिसे कंपनी (बंधन और प्रशासन) नियम, 2014, संबंधित (नियम) के साथ धारा 108, सामान्य संकल्पन संख्या 14/2020 दिनांक 08 अक्टूबर, 17/2020 दिनांक 13 अक्टूबर, 2020, और सामान्य-समय पर जारी किए गए वाद के संकल्पन, जिन्होंने सामान्य संकल्पन संख्या 03/2025 दिनांक 22 अक्टूबर, 2025 है, जो कॉपीराइट मामलों के संकल्पन (एपिलेक्स सर्वर) द्वारा जारी किया गया है, और मासिक प्रतिवेदन और रिपोर्टिंग बांड (रिपोर्टिंग दायित्व और अप्रदाखित आयातकर्ता) विनियम, 2015 (विनियम) के विनियम 44, और अधिनियम, विनियम, विनियम, सर्वर और उनके तहत जारी अधिनियमों को किती भी अन्य सारा, गुणवत्ता, विनियम-समय पर सारा होने वाले और संबंधित होने वाले किसी भी शेषनिक संशोधन या पुनर्विनियोजन शामिल हैं। कंपनी ने एपिलेक्स सर्वर के माध्यम से, उन सदस्यों को, जिन्होंने बुकआउट 02 जनवरी, 2026 को कट-ऑफ तिथि के अनुसार ऑनलाइन पॉलिटीफिकेट के साथ अपनी ई-मेल आईडी पोस्टल बैलेंट है, अधिनियम की धारा 102 के अनुसार एक व्यापकक विवरण के साथ, 05 जनवरी, 2026 को ई-मेल द्वारा पोस्टल बैलेंट की सूचना भेजी है, ताकि निम्नलिखित प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति प्राप्त की जा सके:

क्र. सं.	विषय प्रस्ताव
1	कंपनी की बखत संपत्ति/संपत्तियों, बानी 17वीं, कैप्टन, बख्शाल रोड, तलवर्दी की घाटा, हिसार-125001, हरियाणा में स्थित जगह और सर्वर और बिल्टिंग के बड़े, ट्रांसफर करने के लिए और तलु से निपटने के लिए।

बॉर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स ने पोस्टल बैलेंट प्रक्रिया की निष्पत्ती और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए भी अनिवार्य रूप से (मेमोरियल नंबर 088037), वॉटरडेट अफ़डेमेट (फ़िडेलिटी) को स्वीकृत/नियोजन निवृत्त किया है।

एपिलेक्स सर्वर के अनुसार, सर्वर फ़ैलट ई-वॉटिंग के माध्यम से अपनी संपत्ति या असंतुष्टि दे सकते हैं। कंपनी ने सदस्यों द्वारा ई-वॉटिंग की सूचना के लिए एपिलेक्स सर्वर के साथ एक समझौता किया है। ई-वॉटिंग की विस्तृत जानकारी पोस्टल बैलेंट नोटिस के नोटिस में बताई गई है। ई-वॉटिंग की अधिक जानकारी के लिए:

ई-वॉटिंग की सुविधाएं	सूचनाएं
ई-वॉटिंग का अंत	सूचनाएं, 07 जनवरी, 2026, शाम 09:00 बजे (आईएसटी) सूचनाएं, 05 फरवरी, 2026, शाम 05:00 बजे (आईएसटी)

पोस्टल बैलेंट पर ज़रूरी है कि वे ध्यान दें कि वे सूचनाएं, 05 फरवरी, 2026 को शाम 05:00 बजे (आईएसटी) के बाद वॉटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी और उसके बाद ई-वॉटिंग मौजूदा डिसेलेंट कर दिया जाएगा।

एपिलेक्स सर्वर के अनुसार, पोस्टल बैलेंट नोटिस केवल सर्वर-आधारित माध्यम से उन सदस्यों को भेजा जा रहा है जिन्हें ईमेल पर विनियमिती पॉलिटीफिकेट के पास एडमिटेड है। सदस्यों की संपत्ति या असंतुष्टि का कम्प्यूटेशनल केवल ई-वॉटिंग सिस्टम के माध्यम से होगा।

सदस्यों के वॉटिंग अधिकार सुकुराएं, 02 जनवरी, 2026 को माने जाएंगे, जो "कट-ऑफ डेट" है। जो व्यक्ति "कट-ऑफ डेट" को कंपनी का सदस्य नहीं है, उसे पोस्टल बैलेंट पॉलिटी को केवल जानकारी के लिए सम्मन्धान किया जाएगा। पोस्टल बैलेंट नोटिस की कॉपी कंपनी के वेबसाइट www.arceindustries.in और नीचे सूचीबद्ध लिंकिंग (वीपीएस) www.bsmedia.com और एपिलेक्स सर्वर के वेबसाइट www.votingnsd.com पर उपलब्ध है। जिन सदस्यों को पोस्टल बैलेंट नोटिस नहीं मिला है, वे इसे करार बताई गई वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।

जिन सदस्यों के पास डिजिटल कॉपी में शेयर हैं और जिन्होंने नोटिस को साथ अपनी ईमेल आईडी अपडेट नहीं की है, उन्हें अनुमति है कि वे पत्रिका पर और सारा किमा हुआ कॉपी आदेश/आवरण (एपिलेक्स सर्वर) डिस्ट्रीब्यूट जा उनसे बंधन/अपडेट के परिपूरकता के लिए फॉर्मों वैन कार्ड की संपत्ति-अपडेट ईमेल और एडमिटेड प्रकट के तहत पर किती भी डीमण्ड की वेबसाइट-अपडेट कॉपी का संपत्ति-अपडेट आदेशी - मर संपत्ति डिस्ट्रीब्यूट के अपने सर्वर-ईमेल आईडी investor@arceind.com के माध्यम से कर सकते हैं। ई-वॉटिंग के लिए सर्वर नोटिस में दिए गए निर्देशों को देख सकते हैं और ई-वॉटिंग से संबंधित किसी भी सवाल या शिक्का के मामले में, सर्वर votingnsd@nsd.co.in पर रिसेप्ट नोटिस या टोल की नंबर 1800-222-44 39 पर या टमर पर कंपनी से investor@arceind.com पर संपर्क कर सकते हैं।

पोस्टल बैलेंट द्वारा ई-वॉटिंग का परिणाम सहायक, 07 फरवरी, 2026 को या उससे पहले कंपनी के सर्वर-आधारित वॉटिंग किया जाएगा और यह कंपनी की वेबसाइट www.arceindustries.in और तलु एपिलेक्स सर्वर पर वॉटिंग की संपत्ति वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।

बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स
कृते आरसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा - (सूचित)
कंपनी ई-वॉटिंग अधिनियम अधिनियम

हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
सूचिपत्र फ़ॉर्मेन
दिनांक 31/12/2025 के अंतिम के संदर्भ में, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा जारी वित्तीय सूचना, जो कर्षणीय/वित्तीय प्रकल्पों और जनसत्ता (वित्तीय संकल्प) में प्रकाशित हुई थी, जो कर माना जाएगा।
कर्म संख्या 28,
पुष्पावली का नाम -
1 श्री राकेश कोल 2 सुशी विनोती कोल और लैन : DL/UMR/MVHR/A00000114 की नीलासी सूचना को कर माना जाएगा।
अधिक जानकारी के लिए
कृपया संपर्क करें :-
brajesh.gupta@hindujahousingfinance.com
दिनांक: 06/01/2026 स्थाक: शांतिबाबाबा

"IMPARTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

<div> <div>RELIANCE</div> <div>Asset Reconstruction</div> </div>		<div> <div>रिलायंस एसेट्स रिकनस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड</div> <div>पंजीकृत कार्यालय: 14वीं मंजिल, 100, बंगला, आर-एडके पार्क वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोवागंव (पुणे) मुंबई - 400063</div> </div>	
संरक्षणी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग उठाना		मौजे उत्तलिच्छित्त उधारकर्ताओं ने इंडियन बैंक से विभिन्न ऋण सुविधाओं का लाभ उठाया। बुद्धि जागरूकता वित्तीय अनुशासन बनाए रखने में विफल रहे हैं। इसलिए, ऋण खाते को इंडियन स्कूल्स फाईनैंस कंपनी लि. द्वारा 31.05.2022 को 146139000001 और 146139000002 के लिए और 31.01.2022 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार ऋण खाता संख्या 146137000001 और 146137000012 के लिए रिज-निमात्रित परिचयपत्रों (नॉटिसेस) के रूप में वगैरह कृपया ग्या है। इंडियन स्कूल्स फाईनैंस कंपनी लि. ने 31.03.2023 के असाधारणतः समझौते के तहत निमात्रित/संरक्षित उधारकर्ताओं की वित्तीय परिचयपत्रों को उसके सभी अधिकार, शीर्षक और हित के साथ-साथ सभी अर्थावर्तित सुझाव हितों के साथ रिलायंस एसेट्स रिकनस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के पास में सौंप दिया है। जो आरएएसएसी टैड 081 का दर्ज है।	
उक्त असाधारणतः के अनुसार, सुझाव हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के उक्त अधिनियम नियम 3 की धारा 13(2) के तहत प्रत्येक शांतिका का प्रयोग करके। हम, नीचे हस्ताक्षरित अधिकृत अधिकारी ने पंजीकृत ऋण के माध्यम से दिनांक 25.11.2025 की मांग नोटिस भेज दी है, जिससे उधारकर्ताओं से अनुप्राप्त किया जाता है कि वे दिनांक 25 की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर उक्त नोटिस में उल्लिखित समुचित कथनाएँ राखी को अनिवार्य रूप से सहित पुनर्भरण दें। तथापि, कुछ नीचे उल्लिखित कुछ मांगों का मांग नोटिस नहीं दिया जा रहा है, इसलिए अल्पकालिक रूप से माध्यम से उधारकर्ताओं को 31.05.2022 नोटिस दिया जाता है। विवरण इस प्रकार है- उधारकर्ता/हस्ताक्षरकर्ता/अधिकृत हित का नाम और पता, 1. मेरसल मल्लिकारजु पेरुमुथु माधवियारुवाराई इरुक्कल हस्ताक्षरकर्ता प्राप्ति विभाग, विष्णुपुर एडवा, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश- 275204, 2. मेरसल श्री महावीर च.मा. विद्यालय शिक्षा समिति, इसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्राप्ति विभाग, विष्णुपुर एडवा, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश- 275204, 3. श्री अजय कुमार यादव पुत्र श्री हरि नंदन यादव, पहाड़पुर खुर्द, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश- 275204, 4. श्री अजय, पुत्र हरि नंदन यादव पहाड़पुर खुर्द, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश- 275204 बकाला राखी (रुपये में) रु.98,18,989.76/- (रुपये) अद्वाने मांग अग्राहक हजार नौ नौ सत्तर और अठारह पैसे मात्र 31-10-2025 तक		सुचित्त वक्त/अवसल संघर्षियों का विवरण- संघर्षित सं: 1: आराजी संख्या 456 वाली खुली भूमि के नीचे टुकड़े और पार्लस मांग 1 बीहे 12 बिस्वा माला विष्णुपुर एडवा, परनाना संप्रुपु तहसील-खुजवाविया जिला-गाजीपुर एवं परिवर्ध: उत्तर आसिफ मुक्ति दक्षिण, मल्लिकारजु पेरु मुक्करी सौरी और घनरनयाय और अमरनाथ का खेत परिवर्ध. रमन्य और मरनई का खेत। संघर्षित संख्या-2- खुर्द भूमि आराजी नंवर 885 का बह-पुर्न टुकड़ा और पार्लस मांग वरत 04 बीहे, 16 भू. प्र. मांग-विष्णुपुर एडवा, परनाना संप्रुपु, तहसील-खुजवाविया जिला-गाजीपुर एवं परिवर्ध: उत्तर-खेत लाहौर और अरु संक्षिप्त-कर्म मांग और खेत हरि नंदन पुक्. सरहद और विल-मरौत उर्फ चिन्ना पधिम:कर्म संक्षिप्त-मालिक	
60 दिनों की अवधि के भीतर उधारकर्ता संपूर्ण बकाला राखी कुचकने में विफला हो जाने के बाद असाधारणतः संरक्षणी अधिनियम के प्राधान्यों के तहत उधारकर्ता सुचित्त संघर्षियों को माला में विल-मरौत उर्फ चिन्ना पधिम:कर्म का खेत परिवर्ध। कृपया ध्यान दें कि उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के अनुसार, उपरोक्त को विधिद्वारे किसी भी सुचित्त संघर्षित से निवृत्त या थानावर्तित करके, भाड़े वगैरह, पड़े या अथवाय के द्वारा, से रोकता जाता है, इस प्राधान्य का कोई भी उल्लंघन अपराध है और संरक्षणी अधिनियम के तहत दंडनीय है।		<div> <div>प्राधिकृत अधिकारी</div> <div>रिलायंस एसेट्स रिकनस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड</div> <div>दिनांक: 06.01.2026</div> </div>	
<div> <div>Protium</div> <div>(पुनर्) में जोर जोर से प्रसारित/प्रसारित/प्रसारित/प्रसारित के आगे के उतार जाता है।)</div> </div>		<div> <div>प्राथमिक फाइनैस लिमिटेड</div> <div>पंजीकृत ऑफिस: 401/एडिटीव अकादमिक फार्मा: शारदा मंदिर,आंध्र प्रदेश 12, फेस-1 फिलोसोफी लिफ्ट पार्क, पट्टरी बाई, और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, कामा हंड्रिकस एडिटीव, अमरावती (है.) मुंबई - 400063, मारागुड</div> </div>	
<div> <div>संरक्षणी सुझाव (प्राप्ति) अधिनियम, 2002 के विभाग 3(1) के तहत (हस्ताक्षर) निम्नलिखित की प्राप्ति/अधिकृत और पुनर्निर्माण और सुझाव हित प्राप्त/अधिकृत नियम, 2002 की धारा 13 (2) के तहत आसिफ मुक्ति की सेवा/निर्माण/अधिकृत की मांग</div> </div>		मौजे उत्तलिच्छित्त उधारकर्ताओं को नोटिस दिया जाता है कि कुछ उधरने प्राप्ति/अधिकृत नियम, 2002 के तहत मांग उठाने का प्रयोग करके। हम, नीचे हस्ताक्षरित अधिकृत अधिकारी के माध्यम से दिनांक 25.11.2025 की मांग नोटिस भेज दी है, जिससे उधारकर्ताओं से अनुप्राप्त किया जाता है कि वे दिनांक 25 की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर उक्त नोटिस में उल्लिखित समुचित कथनाएँ राखी को अनिवार्य रूप से सहित पुनर्भरण दें। तथापि, कुछ नीचे उल्लिखित कुछ मांगों का मांग नोटिस नहीं दिया जा रहा है, इसलिए अल्पकालिक रूप से माध्यम से उधारकर्ताओं को 31.05.2022 नोटिस दिया जाता है। विवरण इस प्रकार है- उधारकर्ता/हस्ताक्षरकर्ता/अधिकृत हित का नाम और पता, 1. मेरसल मल्लिकारजु पेरुमुथु माधवियारुवाराई इरुक्कल हस्ताक्षरकर्ता प्राप्ति विभाग, विष्णुपुर एडवा, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश- 275204, 2. मेरसल श्री महावीर च.मा. विद्यालय शिक्षा समिति, इसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्राप्ति विभाग, विष्णुपुर एडवा, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश- 275204, 3. श्री अजय कुमार यादव पुत्र श्री हरि नंदन यादव, पहाड़पुर खुर्द, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश- 275204, 4. श्री अजय, पुत्र हरि नंदन यादव पहाड़पुर खुर्द, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश- 275204 बकाला राखी (रुपये में) रु.98,18,989.76/- (रुपये) अद्वाने मांग अग्राहक हजार नौ नौ सत्तर और अठारह पैसे मात्र 31-10-2025 तक	
सुचित्त वक्त/अवसल संघर्षियों का विवरण- संघर्षित सं: 1: आराजी संख्या 456 वाली खुली भूमि के नीचे टुकड़े और पार्लस मांग 1 बीहे 12 बिस्वा माला विष्णुपुर एडवा, परनाना संप्रुपु तहसील-खुजवाविया जिला-गाजीपुर एवं परिवर्ध: उत्तर आसिफ मुक्ति दक्षिण, मल्लिकारजु पेरु मुक्करी सौरी और घनरनयाय और अमरनाथ का खेत परिवर्ध. रमन्य और मरनई का खेत। संघर्षित संख्या-2- खुर्द भूमि आराजी नंवर 885 का बह-पुर्न टुकड़ा और पार्लस मांग वरत 04 बीहे, 16 भू. प्र. मांग-विष्णुपुर एडवा, परनाना संप्रुपु, तहसील-खुजवाविया जिला-गाजीपुर एवं परिवर्ध: उत्तर-खेत लाहौर और अरु संक्षिप्त-कर्म मांग और खेत हरि नंदन पुक्. सरहद और विल-मरौत उर्फ चिन्ना पधिम:कर्म संक्षिप्त-मालिक		<div> <div>प्राधिकृत अधिकारी</div> <div>रिलायंस एसेट्स रिकनस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड</div> <div>दिनांक: 06.01.2026</div> </div>	
<div> <div>Protium</div> <div>(पुनर्) में जोर जोर से प्रसारित/प्रसारित/प्रसारित/प्रसारित के आगे के उतार जाता है।)</div> </div>		<div> <div>प्राथमिक फाइनैस लिमिटेड</div> <div>पंजीकृत ऑफिस: 401/एडिटीव अकादमिक फार्मा: शारदा मंदिर,आंध्र प्रदेश 12, फेस-1 फिलोसोफी लिफ्ट पार्क, पट्टरी बाई, और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, कामा हंड्रिकस एडिटीव, अमरावती (है.) मुंबई - 400063, मारागुड</div> </div>	
<div> <div>संरक्षणी सुझाव (प्राप्ति) अधिनियम, 2002 के विभाग 3(1) के तहत (हस्ताक्षर) निम्नलिखित की प्राप्ति/अधिकृत और पुनर्निर्माण और सुझाव हित प्राप्त/अधिकृत नियम, 2002 की धारा 13 (2) के तहत आसिफ मुक्ति की सेवा/निर्माण/अधिकृत की मांग</div> </div>		मौजे उत्तलिच्छित्त उधारकर्ताओं को नोटिस दिया जाता है कि कुछ उधरने प्राप्ति/अधिकृत नियम, 2002 के तहत मांग उठाने का प्रयोग करके। हम, नीचे हस्ताक्षरित अधिकृत अधिकारी के माध्यम से दिनांक 25.11.2025 की मांग नोटिस भेज दी है, जिससे उधारकर्ताओं से अनुप्राप्त किया जाता है कि वे दिनांक 25 की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर उक्त नोटिस में उल्लिखित समुचित कथनाएँ राखी को अनिवार्य रूप से सह	

[illegible]



कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड

पंजीकृत एवं कारपोरेट कार्यालय :- 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

परिशिष्ट –IV-क | निचम 8 (अचल सम्पत्तियों) की वि

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन और 8 (6) और 9(1) के परंतुक के अधीन अचल आस्तियों की विक्री के लिए ई-न तथा गारंटर(री) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक / प्र कैपिटल लिमिटेड, प्रत्याभूत लेनदार, के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा लेनदार, की बकाया राशि की वसूली के लिए निम्नवर्णित विधियों को "जेसी सुरक्षित मूल्य, ईएमडी राशि तथा सम्पत्ति का विवरण नीचे दिया गया है।

क्र. सं.	1. कर्जदार(रैं) का नाम 2. बकाया राशि	बंधक सम्पत्ति का वर्णन
1.	<p>1. श्री राज कुमार ("कर्जदार")</p> <p>2. श्रीमती अनीता ("सह-कर्जदार")</p> <p style="text-align: center;">ऋण खाता संख्या</p> <p>LNMEKK0000026414 (पुरानी) /</p> <p>809000005864340 (नयी)</p> <p style="text-align: center;">रुपये 28,29,835 /—</p> <p>(रुपये अट्ठाईस लाख उन्तीस हजार आठ सौ पैंतीस मात्र) 26-05-2025 तक + आगे लागू ब्याज</p>	<p>सम्पत्ति के सभी अंश ए सम्पत्ति सं. 144 (क्षेत्रफल 90 वर्ग मीटर), भू तल और प्रथम तल, खसरा नंबर 191 भाग, ग्राम चंद्रावली, आबादी 3, मुकेश नगर, ज्वाला नगर ईस्ट दिल्ली, दिल्ली-110032 निम्नानुसार – पूर्व : महबूब पश्चिम : रोड (14 फीट), त धीर साका प्लांट, दक्षिण : का प्लॉट</p>

<h1>लिमिटेड</h1>	
लवर-ए, पेविनसुला बिजनेस पार्क, सेनापति बायपट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013 फ़ोन : ८२६, एग्जेंक्ट फ्लेक्स, ईमेल : दिलीप@110060	
तथा 9(1) का परंतुक देखें।	
के लिए विक्री सूचनाएं	
<p>ध्यान, 2002 के अधिनियमित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के निचम नी नी विक्री सूचना। एतद्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) र्त्त निम्नवर्णित अवल सम्पत्ति, जिसका प्रलक्षित/भौतिक कब्जा कैप्टी नोबल का है, नीचे वर्णित कर्जदार की तरफ कैप्टी ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, प्रत्याभूत जहां है; जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर बेची जाएगी।</p>	
खंड :	<ol style="list-style-type: none"> ई-नीलामी की तिथि एवं समय ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि सम्पत्ति के विनिर्माण की तिथि एवं समय
	<ol style="list-style-type: none"> ई-नीलामी की तिथि : 28-01-2026 (मध्या. 12.00 बजे से अप. 01.00 बजे के बीच) ईएमडी, केवाईसी सहित जमा करने की अंतिम तिथि : 27-01-2026 निरीक्षण की तिथि : 25-01-2026
पाप 20.	<ol style="list-style-type: none"> सुरक्षित मूल्य सम्पत्ति की ईएमडी वृद्धि मूल्य
धा भाग	सुरक्षित मूल्य : रु. 12,39,300 /—
'25 का	(रूपए बारह लाख उत्तातीस हजार तीन सौ मात्र)
नी नंबर	घरोहर राशि जमा : रु. 1,23,930 /—
शाहदरा	(रूपए एक लाख त्रैस हजार नौ सौ तीस मात्र)
लोहददी	वृद्धि मूल्य : रु. 10,000 /—
ए प्लांट,	(रूपए दस हजार मात्र)
र : श्री	
सतीश	

[illegible]

अहमद, यूगोटा पता: कुर्सी फतेहपुर, कुर्सी, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश 225302, स्थायी पता नवाबगंज, चौमोरा, बहराइच, उत्तर प्रदेश 271865 को दिनांक **90.78,312.79 क्रम (नम्बर लाह)** अहमदर हाथाना कुर्सी सी बहराइच रुपये और जनासी पैसे मात्र) की बकाया राशि का मूलात्त करने का अद्यवत किया जाय। ऋणतन्त्रों के खाते में 31-07-2025 को उक्त सूचना की गई से 60 दिनों में भीतर भुविष्य के ब्याज और अन्य शुल्कों सहित राशि जमा करनी होगी। उक्त उपचारकों द्वारा उक्त राशि का मूलात्त करने में फिफल रहने पर, उक्त उपचारकों के विविध रूप से और आम जनता को सूचित किया जाता है कि जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड के अधिष्ठाता अधिकारी के रूप में अहमदरहाबरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अनुविम 9 के तहत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, **02 जनवरी 2026** को नीचे वर्णित बंधक संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।

उक्त उपचारकों को विविध रूप से और आम जनता को एतद्वारा उक्त संपत्ति से किसी भी प्रकार का लेन-देन करने के विरुद्ध आवाह किया जाता है और उक्त संपत्ति से संपत्ति (निकाल) भी प्रकार का लेन-देन जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड द्वारा **92.25,947.79/-** रुपये (नौ लाख पच्चीस हजार नौ सौ सैतालीस रुपये और जनासी पैसे मात्र) की राशि, ब्याज है। 01.10.2025 से मीथरा के ब्याज और अन्य करने वाले शुल्कों के अधिनियम होमा।

उपचारकोंओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्राक्धानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो गिरवी रखी गई संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समग्र उप-संबंधित हैं।

अचल संपत्ति का विवरण

ग्राम कुर्सी, परगना-खुरशी, तहसील फतेहपुर, जिला बाराबंकी, उत्तर प्रदेश में स्थित 500 बीघर भूखण्ड फलाना रीट डेन सहित व्यावसायिक भूमि का पंजीकृत बंधक। यह संपत्ति यासीन अंतासी राणी शक्ती शक्ती अहमद, निवासी नवाबगंज चौमोरा, नानपारा, तहसील नानपारा, जिला बहराइच के नाम पर है।

ग्राम नानपारा, तहसील नानपारा, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश 271865 में स्थित 0.012 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले भूखण्ड पर निर्मित होने वाले मकान का समतुल्य बंधक। यह संपत्ति श्रीमती यासीन अंतासी पुत्री शक्ती शक्ती अहमद, निवासी नवाबगंज नानपारा, तहसील नानपारा, जिला बहराइच उत्तर प्रदेश के नाम पर है।

दिनांक: 02.01.2026

अधिष्ठाता अधिकारी
जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड

स्थान: लखनऊ, उत्तर प्रदेश

कैप्री के विद्युत विद्युत एवं हाई वोल्टेज, क्यूआर कैंप्री नैबल कैपिटल लिमिटेड, प्रयाग लैण्ड, की वेबसाइट में उपलब्ध कराया गया लिंक देखें - www.capriglobal.in/auction/

ऑनलाइन ई-नीली बिज्नी के विद्युत एवं हाई -

1. सम्पत्ति 'ई-नीली' है जहां है, जो भी है जहां है तथा कोई वापसी नहीं आहार। पर वेजी जा रही है। अतएव बिज्नी किसी प्रकार की वारंटी एवं क्षतिपूर्ति के बिना की जा रही है।
2. सम्पत्ति/आवित के विवरण (उदाहरण के लिए ई-नीलीता बिज्नी सूचना में विनिर्दिष्ट बिज्नी सूचना एवं परिणाम) प्रसिद्ध लेनदार की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार वांछित किए गए हैं तथा प्रसिद्ध लेनदार किसी त्रुटि, मिथ्याकरण अथवा विलोपन के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। वास्तविक सीमा एवं माप बिना है।
3. प्रसिद्ध लेनदार द्वारा जारी की गई ई-नीलीता बिज्नी सूचना जनसाधारण को अपनी बोलियां प्रस्तुत करने हेतु एक आमंत्रण है तथा वह प्रसिद्ध लेनदार की ओर से कोई वचनबद्धता अथवा अभिवन्दन नहीं है और न ऐसा करता सामग्री जाणा। इच्छुक बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले स्वास्थिव विलेख की प्रति प्रसिद्ध लेनदार से प्राप्त करने और सम्पत्ति/आवित के स्वास्थिव के स्वास्थिव एवं वर्तमान दौर तथा सम्पत्ति के प्रभावित करने वाले दावों/देनांशों की स्वतंत्र जांच/सर्वतः कोष कर लेने की सलाह दी जाती है।
4. नीलीता/बोली तथा प्रदाता मैसर्स ई-प्रोक्वोरमेंट टेन्नांशॉलीज लिमिटेड, अहमदाबाद द्वारा उपलब्ध कराई गई वेबसाइट <https://sarfaesi.auctiontender.net> पर अथवा ऑनलाइन टाइटन मोबाइल ऐप के माध्यम से 'ऑनलाइन इन्वेंट्री/निकट मोड' द्वारा होगा, जो ई-नीलीता प्लेटफॉर्म की इच्छुक नीलीता की सम्पूर्ण प्रक्रिया की व्यवस्था एवं समन्वय करेगी।
5. बोलीदाता बोलीदान के लिए अपनी पहचान के स्थान से ई-नीलीता में भाग ले सकते हैं। इंटरनेट की व्यवस्था बोलीदाता को स्वयं करनी होगी। प्रसिद्ध लेनदार/बोली प्रदाता इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट सम्पत्ति, सिस्टम क्रेडिट डाउन, पावर फ्लैंग्स इत्यादि के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।
6. बोलीदाता बोलीदान ई-नीलीता के संबंध में विस्तृत विवरण, सहायता, प्रक्रिया तथा ऑनलाइन बोलीदान के लिए सेवा प्रदाता मैसर्स ई-प्रोक्वोरमेंट टेन्नांशॉलीज लिमिटेड, ऑनलाइन टाइटन, अहमदाबाद (सम्पर्क नंबर 079-68138880/68138837), की प्रसिद्ध मोबाइल ऐप 9265562821 एवं 9265562818, ई-मेल - chinthan.bhatt@capriglobal.in से सम्पर्क कर सकते हैं।
7. इच्छुक बोलीदाताओं को ई-नीलीता बिज्नी में भाग लेने के लिए अपने नाम का पंजीकरण करना होगा। <https://sarfaesi.auctiontender.net> पर पर्याप्त अंशिम में कवचना होगा तथा यूजर आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना होगा। इच्छुक बोलीदाताओं को सेवा प्रदाता से पासवर्ड मिलने ही तत्पश्चात इसको बदल लेने की सलाह दी जाती है।
8. ई-नीलीता में भाग लेने के लिए, इच्छुक बोलीदाता को एक प्रतिस्पर्धी ईम्प्ली, जोकि सुरक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत है (उपरि वर्णित अनुसार) 'कैप्री नैबल कैपिटल लिमिटेड' के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट/एआईएफ/आरटीआई के माध्यम से 27-01-2026 को अथवा पूर्व जमा करनी होगी।
9. इच्छुक बोलीदाताओं को विधिवत भाग सेवा बोली प्राप्त (कार्ड <https://sarfaesi.auctiontender.net> पर उपलब्ध है) ईम्प्ली हेतु डिमांड ड्राफ्ट प्रेषण के साथ एक सीलबंद डिमांड में प्रस्तुत करना चाहिए, जो प्राधिकृत अधिकारी, कैप्री नैबल कैपिटल लिमिटेड, ऑनलाइन टाइटन, लॉन्ग नंबर 98, द्वितीय तल, पूसा रोड, राजेन्द्र लैन्ड, नई दिल्ली-110060 को अधिकतम 27-01-2026 के अग्र 03.00 बजे तक भेजा जा सकता है। सीलबंद डिमांड पर 'कॉन्डार नाम' की सम्पत्ति के कार्यालय द्वारा प्रेषित खाता नंबर - (ऊपर वर्णित अनुसार) भेजा जाना चाहिए।
10. ईम्प्ली के साथ सांख्यिकी जमा करने की अंतिम तिथि सम्पादन होने के बाद, प्राधिकृत अधिकारी उनके द्वारा प्राप्त बोलियों की जांच करके तथा योग्य बोलीदाताओं (जिनके द्वारा भागीदारी सुरक्षित मूल्य से अधिक उद्धृत की गई है) तथा प्रसिद्ध लेनदार द्वारा प्रसिद्ध (ईम्प्ली जारी की गई है) के विवरण की पुष्टि हेतु ई-प्रोक्वोरमेंट टेन्नांशॉलीज लिमिटेड को करेगे ताकि वे ई-नीलीता बिज्नी सूचना में वर्णित विधि और सम्पत्ति पर ऑनलाइन परस्पर बोलीदान/नीलीता कारवायों में भाग लेने की अनुमति केवल उन ही योग्य बोलीदाताओं को दें।
11. योग्य बोलीदाताओं के बीच परस्पर बोलीदान योग्य बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत उद्धरण बोली से आरम्भ किया जाएगा। परस्पर बोलीदान की प्रक्रिया के दौरान 10 मिनिट प्रत्येक के असीमित विस्तार अथवा असीमित ई-नीलीता सम्पादन होगा का समय अतिरिक्त विस्तार से 10 मिनिट के भीतर सकोष में हर बार सकोष 10 मिनिट और बढ़ जाएगा।
12. एक बार बोली देने के बाद निरस्त या वापस नहीं की जा सकती है। बोलीदाता को उल्लेख कार्ड में पूर्व उद्धृत की गई ई-प्रोक्वोरमेंट में दी गई सभी प्राधिकृत उल्लेख उसके द्वारा ही हीन बोलीदाता को जारी करनी चाहिए।
13. ई-नीलीता प्रक्रिया के माध्यम से, प्रदाता मैसर्स ई-प्रोक्वोरमेंट टेन्नांशॉलीज लिमिटेड, ऑनलाइन टाइटन, लॉन्ग नंबर 98, द्वितीय तल, पूसा रोड, राजेन्द्र लैन्ड, नई दिल्ली-110060 तथा सेवा प्रदाता दोनों को भेजनी होगी, ताकि उसको ई-नीलीता प्रक्रिया में सफल बोलीदाता घोषित किया जा सके।
14. सफल बोलीदाता को बोली जारी की 25 प्रतिशत राशि (ईम्प्ली सहित) बोली उसके पक्ष में छूटने पर, बिज्नी के 24 घंटे के भीतर तथा बोली जारी की शेष 75 प्रतिशत राशि बिज्नी की तिथि से 15 दिन के भीतर कैप्री नैबल कैपिटल लिमिटेड के पक्ष में जीडी/ए/आईएफ/एआईएफ/आरटीआई/आरटीआई के द्वारा जमा करनी होगी।
15. सफल बोलीदाता/नीलीता बोली द्वारा निर्धारित राशिगों का भुगतान निम्न अवधि के भीतर करने में बूक की स्थिति में, बिज्नी रद्द कर दी जाएगी तथा पहले जमा की जा चुकी राशिगों (ईम्प्ली सहित) जब तक की जारी और सम्पत्ति बोली बिज्नी हेतु जारी जाएगी।
16. सफल बोलीदाता के अनुसार पर, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा, बोली जारी की बचाना रकम चुकाने के लिए समय, एकमात्र अनुरोध विवेकानुसार सफल बोलीदान में आने बढ़ाया जा सकता है।
17. सफल बोलीदाता को बिज्नी मूल्य की 1 प्रतिशत राशि बॉरर टीडीएस (बिज्नी राशि से) अदा करनी होगी तथा टीडीएस बॉरर/टिफिन प्राधिकृत अधिकारी के पास जमा करना होगा तथा बिज्नी मूल्य की पूरी राशि (1 प्रतिशत टीडीएस कटने के बाद), ईम्प्ली सम्पादित करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऑफर सकोष किए जाने के 15 कार्यदिवस के भीतर अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपयुक्त विधिनिर्धारित विस्तारित से संबंधित पत्र/चानक कर, बिज्नी का बचाना (रखिके को) तथा किसी अन्य प्राधिकरण काका (यदि कोई) का भुगतान बिज्नी प्रमाणपत्र के निर्गमन से पूर्व सफल बोलीदाता द्वारा किया जाएगा। बोलियां सम्पत्ति से संबंधित सम्पत्ति/आवित को ध्यान में रखकर दी जाती चाहिए।
18. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा सफल बोलीदाता के पक्ष में बिज्नी प्रमाणपत्र उसके द्वारा पूर्ण क्रय मूल्य/बोली राशि जमा करने तथा सभी राशियों/प्रमाणों के भुगतान के संबंध में आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करने पर ही जारी किया जाएगा।
19. हस्तांतरण, स्टन्म दंड/दंड, पंजीकरण हेतु लागू कानूनी प्रमाण तथा अन्य अनुपूनी प्रमाण नीलीता के बचन करने होंगे।
20. प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए ई-नीलीता बिज्नी कार्यवाही प्रस्थगित/निरस्त कर सकते हैं। ई-नीलीता बिज्नी कार्यवाही बिज्नी की निर्धारित तिथि से 15 से कम दिन पहले की तिथि हेतु प्रास्थगित करके की स्थिति में, यह सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी।
21. प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय, बाध्यकारी होगा तथा इसको चुनौती नहीं दी सकती है।
22. सभी बोलीदाता, जिनके द्वारा बोलियां प्रस्तुत की गई हैं, एवं भाग जाएगा कि वे ई-नीलीता बिज्नी के नियम एवं शर्तों एवं सम्पत्ति एवं सहायक नीतिगों से अनभिज्ञ हैं।
23. सम्पत्ति में रोलरी घल वस्तु (यदि कोई) इस बिज्नी का अंश नहीं है।
24. अतिरिक्त प्रमाण तथा पुष्टिकरण के प्राधिकृत अधिकारी, कैप्री नैबल कैपिटल लिमिटेड - की अंतिम नाम मोबाइल नंबर 9013255565/9004445137 से सम्पर्क करें।
25. यह प्रावधान उत्तर क्रय तथा/वा के कर्जदार/बचाना/गारंट को प्रसिद्धि हित (प्रसिद्धि) नियमालय, 2002 के नियम 8(6) तथा 8(7) के तहत, उपरीभाषित तिथि/स्थान पर नीलीता बिज्नी आयोजित करने के संबंध में 15 (पंद्रह) दिन का कानूनी नोटिस भी है।

विद्युत अन्वेषण/निरीक्षण: बोलीदाताओं को अनिवार्य नोटिस अथवा हाथों में बोलीदान करने की प्रवृत्ति को स्वयं के हित में त्यागना होगा। ना तो कैप्री नैबल कैपिटल लिमिटेड/आर और ना सेवा प्रदाता बोलीदाता की ओर से किसी फिकलता, कानून (विद्युत विफलता, इंटरनेट विफलता इत्यादि) हेतु उत्तरदायी होगा। ऐसी स्थिति से बचने के क्रम में बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे अपेक्षित बैकअप पावर आपूर्ति इत्यादि जैसी आवश्यक व्यवस्थाएं/विद्युत आधार रखें, ताकि वे बिज्नी भी आकस्मिक रुकावट के बच सकें और नीलीता में सफलतापूर्वक भाग ले सकें।

स्थान: दिल्ली/एनडीआर तिथि: 06-01-2026

हस्ता/ (प्राधिकृत अधिकारी) कैप्री नैबल कैपिटल लिमिटेड



निम्ब्स प्रोजेक्ट्स

(CIN - L74899DL1993PLC055)

पंजीकृत कार्यालय: 1001-1006, 10वां तल,
23, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-11

ईमेल : nimbusindia1dtd@gmail.com वेबसाईट : www.nimbusindia.com

फोन : +91-11-42878900, फैक्स : +91-11-4150111

पोस्टल बैलट/रिमोट ई-वोटिंग के संबंध में

सदस्य कुपया ध्यान दें कि निम्ब्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (कंपनी) अपने माध्यम से केवल रिमोट ई-वोटिंग (पोस्टल बैलट या ई-वोटिंग) द्वारा सार्वजनिक बैलट नोटिस (नोटिस) में निर्धारित व्यवसायों को पूरा किया जा सके, जो कंपनी द्वारा 110 के साथ धारा 108 के प्रावधानों और अन्य सभी लागू प्रवृत्तियों के अधीन पठित इसके तहत बनाए गए नियमों, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय निर्देशों/परिपत्रों (एमसीए परिपत्र), सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण) 2015 और किसी भी अन्य लागू कानून, नियम और विनियमन के अनुसार उपलब्ध होगा। एमसीए परिपत्रों के अनुसार, नोटिस केवल ईमेल द्वारा उन जिनके ई-मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी पार्टी/सिपेंडर (डीपी)/डिपॉजिटरी ट्रांसफर एजेंट कंपनी के पास पंजीकृत हैं। इसलिए, नोटिस की सीधी कॉपी और प्रीपेड बिजनेस रिप्लाई एनवलप इस पोस्टल बैलट के लिए भेजी जाएगी। सदस्यों से अनुरोध है कि वे केवल रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से या असहमति प्रदान करें। रिमोट ई-वोटिंग और अन्य संबंधित मामलों की प्रक्रिया का विवरण नोटिस में उपलब्ध कराया जायेगा।

उक्त नोटिस कंपनी की वेबसाइट www.nimbusprojects1td.com की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है। नोटिस वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

जिन सदस्यों ने अभी तक अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, वे नोटिस सदस्यों से अनुरोध है कि वे नीचे दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन कर मोबाइल नंबर पंजीकृत करवा लें।

- ऐसे सदस्य जिनके शेयर भौतिक रूप में हैं और जिन्होंने कंपनी में पंजीकृत नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने ईमेल पते को rtat@alankit.com पर आरटीए को लिखकर अपडेट करें। हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की प्रति, जिसमें सदस्य का नाम और पता, प्रति और सदस्य के पते के समर्थन में किसी भी दस्तावेज (जैसे: ड्राफ्ट पत्र, पासपोर्ट) की स्वयं-सत्यापित प्रति भी संलग्न करें।
- डीमैट रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने ईमेल पते को पंजीकृत/अपडेट कर लें।
- उपर्युक्त प्रक्रिया से संबंधित किसी भी पूछताछ के लिए, सदस्यों को rtat@alankit.com पर लिखें, अथवा 011-42541234 पर कॉल करें।

यह विज्ञापन कंपनी के सभी सदस्यों के लाभ के लिए जारी किया जा रहा है।

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 05 जनवरी, 2026

कम्पनी का

कृपे फ

कमिटेड

(70)
मंजिल,
0001
projectsltd.com
23

सूचना

वदस्थों के पोस्टल बैलट के
मिति मांगेगी, ताकि पोस्टल
कंपनी अभिनियम, 2013
में, मैं, वोट कोई हो, के साथ
द्वारा जारी लागू दिशा-
ग आदेश(कताए) विनियम,
होगा।

वदस्थों को भेजा जाएगा,
री/रजिस्ट्रार और शेयर
क प्रतियां, पोस्टल बैलट
सदस्यों को नहीं भेजा
गया से ही अपनी सहमति
मेंमैं से वोट डालने की

m पर तथा एनएसडीएल
की एक प्रति बीएसई की

ग्राफ्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसे
हुए अपने ईमेल पते और

मपना ई-मेल पता अपडेट
ई-मेल पते को
ई-फॉर्म **ISR-1** में
कार्ड की स्वयं-सत्यापित
ग लाहसंस, चुनाव पहचान

मिथित डीपी के पास अपना
करें।

से अनुरोध है कि वे

स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
हस्ता/-
रिका अग्रवाल
एवं अनुपुल्लभ अधिकारी
सता सं. ए69712

वसुली अधिकारी कार्यालय-I/II

ऋण वसुली न्यायाधिकरण,
दिल्ली (डीआरटी)
चतुर्थ तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद
मार्ग, नई दिल्ली - 110001

ऋण वसुली एवं दिवाला अभिनियम, 1993 के
साथ पठित आवक अभिनियम, 1961 की द्वितीय
अनुसूची के नियम 53 के तहत विद्यमान
उद्घोषणा के निपटन हेतु सूचना

टीआरसी/179/2024 दिनांक 21.11.2025

एनआईएसएचएफएल
वामा
शिव कुमार वर्मा एवं अन्य

सेवा में,

(सीडी 1) शिव कुमार वर्मा एवं अन्य, फ्लैट नंबर बी-17,
दिल्ली शासन फ्लैट्स, तिमारापुर, दिल्ली-110004
साथ ही:- कानून नंबर 438-439, नगीर मंडी, सोनीपत,
हरियाणा-131101

(सीडी 2) मेमर्स पीपुल्स कॉलोनिकल्स लिमिटेड, ए 16
बी 1, मोहन को-ऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, मेन मयपुरा
रोड, दिल्ली-110044

जबकि अन्य, शिव कुमार वर्मा एवं अन्य, को ऋण वसुली
न्यायाधिकरण दिल्ली (डीआरटी) के जीवनतारा अधिकारी
द्वारा दिनांक 16.05.2024 को जारी वसुली प्रमाण पत्र
दिए/1498/2022 के माध्यम से आवंटित बैंक/वित्तीय
संस्थान (आवेदक का नाम) को राशि रु. 46,40,944.77,
रुसित कुप्रमेय के माध्यम से (14.20% की दर से)
रुसित 01.08.2019 से वसुली कर रु.3,00,000/- (छप्पस
सौ हजार) के व्यय का भुगतान करने का आदेश दिया
गया था, एवं जबकि उक्त राशि का भुगतान नहीं किया
गया है, अंगोदरहस्तार में निम्नलिखित अवल संपत्ति की
की कितो का आदेश दिया जाता है।

2. आगामी सूचित किया जा रहा है कि विद्यमान को घोषणा
किया करने और उक्तकी शर्तों को निर्धारित करने के लिए
दिनांक 25.02.2026 को 10:30 बजे पूर्वा. का समय
निर्धारित किया गया है। आगामी अनुसूची है कि उक्त
संपत्तियों वा उसके कितो भाग से संबंधित कितो भी
ऋणकार, प्रभार, दावे अथवा देनदारों को अंगोदरहस्तार के
ध्यान में लारा।

संपत्ति का विवरण

संपत्ति - फ्लैट संख्या डी-47, दूसरी मंजिल, ब्लॉक डी,
पंथपूर रोड, पंथपूर सिटी, अलवर, राजस्थान, क्षेत्रफल
1325 वर्ग फुट

नये हस्तक्षार और न्यायाधिकरण की मुहर के तहत, दिनांक
21.11.2025 को दिया गया

निर्जन शर्मा
वसुली अधिकारी-II
ऋण वसुली न्यायाधिकरण,
दिल्ली (डीआरटी) 1)